

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 112/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/313

वादी

बनाम

प्रतिवादी

पुखराज पुत्र गुमानजी

जाति राजपुरोहित

निवासी पुरोहितो का वास, बालू

तहसील समदड़ी

1. कल्याणसिंह पुत्र सोहनसिंह
2. किशनसिंह पुत्र लच्छाजी
3. किशोरसिंह पुत्र सरदारसिंह
4. खीमसिंह पुत्र सोहनसिंह
5. जोगसिंह पुत्र सरदारसिंह
6. देवीसिंह पुत्र सोहनसिंह
7. देशाकंवर पत्नी सुमेरसिंह
8. हरीशकुमार पुत्र सरदारसिंह
9. मानसिंह पुत्र प्रतापसिंह के वारिसान
- 9/1. आसूसिंह पुत्र मानसिंह
- 9/2. देवीकंवर पुत्री मानसिंह
- 9/3. गीताकंवर पुत्री मानसिंह
- 9/4. मंशा कंवर पुत्री मानसिंह
- 9/5. ममता पुत्री मानसिंह
10. शंकरसिंह पुत्र लच्छाजी
11. शैतानसिंह पुत्र सोहनसिंह
12. सुरेश पुत्र सरदारसिंह
13. हड़मानसिंह पुत्र लच्छाजी
जाति राजपुरोहित निवासी बालू
तहसील समदड़ी
14. मालाराम पुत्र गुमानजी
जाति राजपुरोहित निवासी बालू
तहसील समदड़ी
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955उपरिथति

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादीगण
2. श्री ओमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01,2 व 4,6,9/1 से 9/5 व 10,11 एवं 13
3. प्रतिवादी संख्या 3,5,7,8,12 से 14 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 27.10.2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुरांगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा खारवा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 235/130 क्षेत्रफल 33.8883 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 08.11.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का वाई मिटस एण्ड वाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खारवा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 235/130 क्षेत्रफल 33.8883 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किरम	वरंग
1	किशनसिंह शंकरसिंह, हड़मानसिंह पि. लच्छाजी जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार। रहन-शंकरसिंह का हि. एस.वी.आई. शाखा पारलू	खारवा	235/130 235/130	5.5387 5.5387	वा.अ.	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	किशोरसिंह जोगसिंह सुरेश हरीश कुमार पि. सरदारसिंह शान्तिदेवी पत्नि सरदारसिंह जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार। रहन-सुरेश व शान्ति देवी का हि. एस.वी.आई शाखा पारलू।	खारवा	235/130 235/130	5.5387 5.5387	वा.अ. वा.अ..	नक्शे मे दर्शितानुसार
3	कल्याणसिंह खीमसिंह देवीसिंह शैतानसिंह पि. सोहनसिंह जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	खारवा	235/130	1.8482	वा.अ.	नक्शे मे दर्शितानुसार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

4	कल्याणसिंह खिमसिंह देवीसिंह शैतानसिंह पि. रोहनसिंह राजपुरोहित हरुमतिबेन देवीलाल, भीखी पुत्रीया रोहनसिंह जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	खारवा	235 / 130	2.7693	वा.अ.	नक्शे मे दर्शितानुसार
6	आरुसिंह पुत्र मानसिंह दिव्याकंवर गनीपाकंवर, गमता, गीताकंवर पुत्रीया मानसिंह, गीगीकंवर पत्नि मानसिंह जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	खारवा	235 / 130	2.7693	वा.अ.	नक्शे मे दर्शितानुसार
6	देशाकंवर पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	खारवा	235 / 130	1.8462	वा.अ.	नक्शे मे दर्शितानुसार
7	पुखराज पुत्र गुमानजी जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	खारवा	235 / 130	1.8462	वा.अ.	नक्शे मे दर्शितानुसार
8	संयुक्त खातेदारी (शस्ते हेतु प्रस्तावित भूमि)	खारवा	235 / 130	0.6559	वा.अ.	नक्शे मे दर्शितानुसार

तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण
भरकर वाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में
विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।
डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27/10/2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 62/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/192
वादी बनाम प्रतिवादी

पुखराज पुत्र गुमानजी
जाति राजपुरोहित
निवासी पुरोहितो का वास, बालू
तहसील समदड़ी

1. कल्याणसिंह पुत्र सोहनसिंह
2. किशनसिंह पुत्र लच्छाजी
3. किशोरसिंह पुत्र सरदारसिंह
4. खीमसिंह पुत्र सोहनसिंह
5. जोगसिंह पुत्र सरदारसिंह
6. देवीसिंह पुत्र सोहनसिंह
7. देशाकंवर पत्नी सुमेरसिंह
8. हरीशकुमार पुत्र सरदारसिंह
9. मानसिंह पुत्र प्रतापसिंह के वारिसान
- 9/1. आसूसिंह पुत्र मानसिंह
- 9/2. देवीकंवर पुत्री मानसिंह
- 9/3. गीताकंवर पुत्री मानसिंह
- 9/4. मंशा कंवर पुत्री मानसिंह
- 9/5. ममता पुत्री मानसिंह
10. शंकरसिंह पुत्र लच्छाजी
11. शैतानसिंह पुत्र सोहनसिंह
12. सुरेश पुत्र सरदारसिंह
13. हड़मानसिंह पुत्र लच्छाजी
जाति राजपुरोहित निवासी बालू
तहसील समदड़ी
14. मालाराम पुत्र गुमानजी
जाति राजपुरोहित निवासी बालू
तहसील समदड़ी
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 112/2023

निर्णय दिनांक :-27.10.2025

सहायक कलक्टर
(S.D.C.), बालोतरा

वादीगण की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01,2 व 4,6,9/1 से 9/5 व 10,11 एवं 13 की ओर से श्री ओमसिंह राजपुरोहित की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 3,5,7,8,12 से 14 एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 27.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		लिए निर्वाह व्यय	
6.कमिश्नर की फीस		5.आदेशिका की तामील	
7.आदेशिका की तामिल		6.कमिश्नर की फीस	
जोड़	—	जोड़	—

(एस.डी.ओ.)बालोतरा